CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organization under the MHRD, Govt. of India)
"SHIKSHA KENDRA", 2, COMMUNITY CENTRE,
PREET VIHAR, DELHI – 110 092

CBSE/PO/2013/ **दिनांकः 2 जुलाई, 2013**

परिपत्र संख्या–अका॰ 44/2013

के॰मा॰शि॰बो॰ से संबद्ध
संस्थानों के प्रमुख

विषयः18 जुलाई, 2013 को PHD House, नई दिल्ली में होने वाले ''विद्यालयों में कौषलवर्धन पर वैष्विक सम्मेलन'' में शामिल होने के लिए निमंत्रण।

प्रिय प्रधानाचार्य,

आपको यह विदित होगा कि हाल ही में के॰मा॰शि॰बो॰ माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विभिन्न कौशल आधारित पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहा है जिनका उद्देश्य छात्रों की मूलभूत क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए ज्ञानवर्धन व प्रशिक्षण प्रदान करना है।

के॰मा॰शि॰बो॰ कौशल–विकास के अपने दर्शन को सुदृढ़ करने के लिए ''विद्यालयों में कौशलवर्धन'' की अवधारणा पर चर्चा और विचार–विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के साथ मिलकर 18 जुलाई, 2013 को PHD House, नई दिल्ली में एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। माँग और आपूर्ति इन दोनों दृष्टिकोणों को समझना तथा इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और साथ ही व्यावहारिक समाधान निकलना इस सम्मेलन का औचित्य है।

सम्मेलन का उद्देश्य –

- व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में विद्यालयों के लिए मुद्दे और अवसर
- विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए समुचित कर्मचारियों की प्राप्ति में चुनौतियाँ।
- विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को समझना और बाज़ार क्षेत्र में ठीक उसी को लागू करने की व्यवहार्यता।
- कौशल और रोज़गार के बीच संबंध बनाने के लिए उद्योग के नज़रिए को समझना।

इसलिए, आपसे अनुरोध है कि आप 18 जुलाई को, PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री 4/2, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग नई दिल्ली 110016, में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उपर्युक्त विषय से संबंधित सम्मेलन के अवलोकन करने तथा विचार–विमर्श में भागीदारी के लिए उपस्थित हों (विशेष विवरण संलग्नक में देखा जा सकता है)। पंजीकरण के लिए 15 जुलाई, 2013 से पहले jatinder@phdcci.in पर ई–मेल भेज सकते हैं तथा साथ ही उसकी एक प्रति programme.officercbse@gmail.com पर भी अवश्य भेजें।

भवदीय

बिश्वजीत साहा

डॉ॰ बिष्वजीत साहा

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18–इन्स्टिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016.
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए-28, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली.
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली.–110054
4. निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर–9, चंडीगढ़–160017.
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम–737101
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरूणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर–791111.
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर–744101.
8. राज्य शिक्षा संस्थान, के॰मा॰शि॰बो॰ कक्ष वी॰आई॰पी॰ मार्ग, जंगली घाट, पी॰ओ॰–744103, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह।
9. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस॰एस॰ प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर–3, रोहिणी, दिल्ली–110085.
10. शिक्षा अधिकारी/सह–शिक्षा अधिकारी, शैक्षणिक विभाग, के॰मा॰शि॰बो॰
11. अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी) को इस परिपत्र को के॰मा॰शि॰बो॰ की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ।
12. पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, के॰मा॰शि॰बो॰
13. अध्यक्ष, के॰मा॰शि॰बो॰ के कार्यकारी सचिव
14. सचिव, के॰मा॰शि॰बो॰ के डेस्क अधिकारी/निजी सहायक
15. परीक्षा नियंत्रक, के॰मा॰शि॰बो॰ के निजी सहायक
16. निदेशक (शैक्षणिक) के॰मा॰शि॰बो॰ के निजी सहायक
17. संयुक्त सचिव, (संयुक्त प्रवेश परीक्षा), के निजी सहायक
18. विभाग अध्यक्ष, (एडुसैट) के निजी सहायक
19. जन संपर्क अधिकारी के॰मा॰शि॰बो॰, के निजी सहायक
20. के॰मा॰शि॰बो॰ के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को अपने–अपने क्षेत्र के सभी संबद्ध विद्यालयों के प्रमुखों को भिजवा दें।